

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या 822

/वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०- D-112-

दिनांक: 30/6/22

श्री देवेंद्र सिंह,
पीआरसी अधिकारी, कामधेयल कोर्ट
करवी

को सूचित किया जाता है कि वह आदेश संख्या-159/Admn./Revenue/22

तारीख 20-05-22 राजपत्र का पृष्ठ के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है। पूर्व आहरित धन के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

ब्योरे	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से		
	01-05-22	25-05-22	3	4	5	6
मूल वेतन/बैण्ड वेतन	71830-	71830-				
वैयक्तिक वेतन			कापकार			
महंगाई वेतन						
विशेष वेतन						
अंतरिम सहायकता -30%	21549-	21549-				
अवकाश वेतन/बैण्ड वेतन						
महंगाई भत्ता	140787-	140787-				
मकान किराया भत्ता			कोई			
अतिथि सत्कार भत्ता	3100-	3100-	पर			
चिकित्सा भत्ता	1000-	1000-				
आवासीय कार्यालय भत्ता	300-	300-				
प्रशिक्षण भत्ता						
नगर प्रतिकर भत्ता			शून्य			
जोड़	238566-	238566-				

वेतनमान 70290-1540-76450 प्रत्येक वर्ष की प्रथम तिसवीं तारीख को

वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर आठवम 76450-50 की स्थिति पर पहुँचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

अपर निदेशक/उप निदेशक

- टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
- (2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियाँ और सरकार को देय राशियों की वसूलियाँ कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं० : /वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०- D-112- तद् दिनांक :

कोषागार- (रत्न) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सचिव, ईरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विशेष सचिव (वित्त), विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।

जब कमी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूलें।

अपर निदेशक/उप निदेशक